5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5रु. भारत पाँच रुपये 5रु. भारत पाँच रुपये FIVE R 10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

89

नि -549-II-16

कन्छेदी तनय कनई अहिरवार
निवासी ग्राम-महुनाजाट तह0खुरई,
जिला-सागर(म0प्र0) ....आवेदक

डी.के. पारसी (एड.) 15/02/16

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर सागर(म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के रा0प्र0क्र0 35अ/21वर्ष2015-16 में पारित आदेश दिनाँक 21.12.2015 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः-

डी. के. पारसी (एड.) राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र. ग्वालियर मो.: 9753356589

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक के पिता स्व0श्री कनईअहिरवार को ग्राम महुनाजाट तह0 खुरई जिला सागर में ख0नं0 10 रकवा 1.85हे0भूमि पट्टे पर प्रदान हुयी थी कनई की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि पर आवेदक एवं उसके भाई के नाम वारसान दर्ज हुयी एवं आवेदक करीब 10 वर्षो से निरंतर अपने परिवार के साथ इन्दौर में निवासरत है और वह इन्दौर में ही फेक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता है इस कारण से उसके द्वारा एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त खसरा नंबर 10रकवा 1.85हे0 के अपने हिस्से 1/4 रकवा 0.45हे0 की भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर विधिवत् तहसीलदार ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक को उसके हिस्से की भूमि के विक्रय करने की अनुसंशा की थी एवं आवेदक उक्त भूमि के विक्रय के उपरांत इन्दौर में भूमि कय कर रहा था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों को न देखते हुये उसका आवेदन निरस्त करने का विवादित आदेश दिनाँक 21.12.2015 पारित कर दिया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत् श्रीमान्

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-549/II/16..... जिला ..सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी अनावेदक की ओर से शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों को प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर सागर के प्र.क्र. 35/अ—21/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। इसमें आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। 3— आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के पिता स्व0श्री कनई अहिरवार को ग्राम महुनाजाट तहसील खुरई जिला—सागर की भूमि ख0नं0 10 कुल रकवा 1.85 हे0 भूमि म0प्र0 शासन से पट्टे में प्रदान की गयी थी उनकी मृत्यु उपरांत उक्त भूमि पर 1/4 का हिस्सा बनता है, जो वह अपने निवास स्थान इन्दौर में उक्त भूमि बेंचकर अन्य भूमि क्रय करना चाहता है जो आवेदक के नाम पर शामलाती दर्ज है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है आवेदक द्वारा विधिवत् निष्पादित इकरारनामा दिनॉक 12.08.2015 का प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक अन्य भूमि क्रय किये जाने का उल्लेख किया है तथा ब्याने में 20000/— अंकन बीस हजार रूपये का भुगतान किये जाने का लेख है। इस वास्ते उनका निवेदन है कि यदि विकय की अनुमति नहीं दी गयी तो आवेदक के परिवार वालों को आगे और भी कठनाईयों का सामना करना पडेगा। इस कारण उन्होने विधिवत् भूमि विकय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। 4— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह	

[कृ. प. उ.

R-549-II/16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है आवेदक अहिरवार जाति का है आदिवासी नहीं है और उसके द्वारा भूमि विकय उपरांत अन्य भूमि क्रय की जा रही है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इन्कार किया है कि आवेदक के पास शेष भूमि नहीं रहेगी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र एवं इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के विचार उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम महूनाजाट में स्थित भूमि खसरा नंबर 10 रकवा 1.85 हे0 भूमि में से रकवा 0.45हे0भूमि के विकय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विकय—विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विकेता को विकय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विकय विलेख संपादित करें। सदस्य	

शासकीय मुद्रणालय-763-फॉर्म्स-26-2-07-20,000.